Issue 04 June 2018

Transforming Rural Bihar

The Change Makers

JEEViKA: Guiding Socio-Economic Metamorphosis in Rural Bihar Page 01

सतत् जीविकोपार्जन योजना Page 03

चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर आयोजित सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम Page 13

बड़की दीदी Page 25

सामाजिक विकास विशेषांक

From the
editor's desk

Dear Readers,

We are pleased to present yet another edition of "The ChangeMakers". This is a special edition on JEEViKA's Social Inclusion approaches. The Lead Story "JEEViKA: Guiding Socio-Economic metamorphosis in Rural Bihar" explains the various strategies and policies adopted to include the marginalized and most vulnerable communities and accrue the benefits of collective actions. This edition further captures the initiatives taken for ensuring food security, better access to financial services, rights and entitlements and welfare programs. "Badki Didi" has a message against social evils like Dowry system and Child Marriage. The "Didi ki Kahani Didi ki Zubani" segment has some life churning stories of Jeevika Didis.

Thus, taking you through experiences of our endeavors, we solicit your continued support and suggestions.

Happy Reading

Regards
Mahua Roy Choudhury
mahua@brlp.in

EDITORIAL & DESIGN

- **Mr. Braj Kishore Pathak**
  Officer on Special Duty
- **Mrs. Mahua Roy Chaudhury**
  Program Coordinator (G&KM)
- **Mr. Pawan Kr. Priyadarshi**
  Project Manager (Communication)
- **Mr. Pratyush Gaurav**
  Consultant (Communication)
- **Mrs. Priya Priydashi**
  Designer

संदेश

श्री बालामुरूगन डी. (भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका (BRLPS)
राज्य मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

सामाजिक विकास प्रक्रिया के बाद ही हम समग्र विकास की कल्पना कर सकते हैं। जीविका अपने लक्षित समूहों के बीच इसी अवधारणा के साथ कार्य करती है। जीविका का मानना है कि जबतक हम समुदाय का सामाजिक विकास नहीं करेंगे तबतक उनके स्थायित्वपूर्ण आर्थिक विकास की बात अप्रासांगिक है। अपने आरंभिक काल से ही जीविका ने समुदाय के सामाजिक विकास के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं। यही कारण है कि आज जीविका की दीदियां सामाजिक मुद्दों पर काफी गंभीर हैं और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। शराब बन्दी के लिए भी जीविका दीदियों द्वारा पुरजोर आवाज उठायी गयी थी। दहेज, बाल विवाह आदि के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाइयों में भी जीविका दीदियाँ निरंतर सक्रिय हैं। आधी आबादी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में क्रमशः परिवर्त्तन आ रहा है। जीविका से जुड़ने के बाद हजारों दीदियों ने अंगूठा लगाने के स्थान पर हस्ताक्षर कर रही हैं जो उनकी प्रगतिशील सोच को प्रतिबिम्बित करता है। वर्तमान समय में बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने के अभियान में भी जीविका दीदियां बढ़–चढ़ कर भाग ले रही हैं।

सामाजिक विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए जीविका दीदियां अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर काम करने की बात वे सभी को बेहतर तरीके से संचालित कर रही हैं। बिहार में जीविका दीदियां सामाजिक विकास के रास्ते अपने स्थायित्वपूर्ण आर्थिक विकास की तरफ निरंतर प्रयासशील हैं। ग्रामीण घरों में शौचालय निर्माण तथा उनके उपयोग की दिशा में दीदियाँ निरंतर जनजागरण कर रही है।

CONTENTS

JEEViKA: Guiding Socio-Economic Metamorphosis in Rural Bihar 01

lrr thfodkiktu ;ktuk 03

lh,QVhLk l/kjk eujxk dk;de -- 05

dklh dh /kjrh ij gk jgh eycjh dh [krh ------------------------------------- 08

pikj.k lR;kxg d 'krkCnh o"k ij vk;kftr lR;kxg l LoPNkxg dk;Øe---13

संदेश

श्री अरविन्द कुमार चौधरी (भा.प्र.से.)
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविका में सामाजिक विकास का दायरा काफी बड़ा है। पिछले एक दशक की यात्रा में जीविका में सामाजिक विकास पर विशेष रूप से कार्य किया गया है। अपने आरंभिक काल से ही परियोजना ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं और इसके सफल परिणाम हमारे सामने हैं। बात चाहे हस्ताक्षर साक्षर की हो या अपने अधिकार के प्रति जागरूक एवं सशक्त होने की, जीविका दीदियाँ नित्य नई ऊँचाइयों को छू रही हैं। बिहार सरकार के शराब बंदी क़ानून को व्यावहारिक स्वरुप प्रदान करने में इन जीविका दीदियों का योगदान रहा है। अब दहेज़ प्रथा, बाल विवाह, खुले में शौच से मुक्ति जैसी कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए इन्होंने कमर कस लिया है। ग्रामीण परिवेश में कभी घूंघट की ओट में बात करने वाली महिलाएँ अब सामाजिक रूप से सशक्त होकर न केवल अपने पारिवारिक स्तर पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक निर्णय ले रही हैं बल्कि, अपने समाज, गाँव एवं राज्य के विकास में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कभी अपने परिजनों से भी खुलकर अपनी बात कहने में अक्षम महिलाएँ अब किसी मंच पर अपने भावों को अभिव्यक्त करती हैं। किसी समस्या के समाधान की दिशा में उनका सामुदायिक दृष्टिकोण एवं सामूहिक प्रयास कारगर सिद्ध होता है।

जीविका दीदियों के सामाजिक सशक्तीकरण की यह यात्रा निरंतर जारी रहे, यही हमारी शुभकामना है।

CONTENTS

[kyh e 'kkp l efDr dk l iuk gvk l kdkj------------------------------------ 15
l kenkf; d [kjhnnkjh ifØ; k l s l 'kDrhdj.k dh jkg------------------------ 18
Gram Swaraj Abhiyaan.. 21
eu dh dye l s 24
cMdh nhnh 25
Events 27

01 JEEViKA: Guiding Socio-Economic Metamorphosis in Rural Bihar

05 सीएफटी से सुधरा मनेरगा कार्यक्रम

08 कोसी की धरती पर हो रही मलबरी की खेती

13 चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर आयोजित सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम

JEEViKA: Guiding Socio-economic Metamorphosis in Rural Bihar

Geetika Hora & Prashant Krishna

(Excerpt taken from the publication "A Decade of Rural Transformation" Lessons Learnt from Bihar Rural Livelihood Project - JEEViKA)

The Poorest and Excluded Communities in Bihar

Bihar presents a complex political, social and economic context for development interventions. BRLPS or popularly known as JEEViKA is one such intervention which aims high and does its utmost to achieve the same. With 34.4 percent of the total households living below the poverty line, the challenge is to work with some of the poorest people in India. Bihar lies in the Genetic plain area of India which is not only nationally, but globally one of the deeply entrenched poverty and hunger hotspot. The situation is exacerbated with strong caste and religious inequalities, leaving some individuals and groups poorer than others. In India, the caste system, has led to an official recognition by the Government of discriminated caste groups and a general caste category that comprises groups considered as upper castes. In rural India, caste identities are still important and influence habitation, choice of occupation, marriage, and access to social, political and economic resources and opportunities. The key categories are Scheduled Castes (SCs) (also called dalits), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Extremely Backward Castes (EBCs). Poverty mostly correlates with caste categories, and we find that amongst the STs, 59.3 percent and amongst SCs, 51.7 percent live below the poverty line. Data indicates that compared to other caste groups, the SCs and STs are poorer by 10% and 15% point respectively. Amongst the SCs, the census identified some castes as Mahadalits, which were destitute and ultra poor. The main caste groups are Musahars, Dushadhs and Raghuvanshis and together they comprise some of the poorest groups of the State.

The Musahars have been one of the most marginalized communities among the SCs. They are landless and by and large have been deprived of the benefits of modern education, technology and institutions. The Mahadalit Mission, constituted by the Government of Bihar, in its study found evidence of high poverty, food insecurity and chronic under-nutrition among Musahars, often bordering on starvation. The sex ratio was low (923 females per 1,000 males), lower than the State ratio standing at 935. Even their literacy rate are lower than the other Scheduled Caste groups. Bihar has had large-scale migration to other states of the country. Amongst the migrants, brick kiln labourers form a large portion of workers in the informal sector. The workers, who are usually from the poorest sections of the society, and in the case of Bihar, mostly from the Musahar community, are recruited against a loan by a labour contractor or employer, which they have to repay by working for them. Cutting across the above caste distinctions, the landless as a category constitutes an important marginalized group in Bihar. The

concentration of families facing near to absolute landlessness is highest amongst the SCs (53.5%) followed by the STs at 47.98%. According to a survey conducted by Department of Revenue and Land Reforms, Government of Bihar as many as 210,437 Mahadalit families have been identified as families not even owning homestead land.

Key Strategies for Social Inclusion

There was continuous focus on social inclusion in the routine planning, implementation and monitoring cycle of the project. On the one hand the project evolved institutional mechanisms to integrate social inclusion in each of the project interventions and strategies and on the other, community institutions were encouraged to promote empowerment-based approaches to mobilize and include poorest communities.

1. Initiating SHG Formation from Hamlets of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

JEEViKA took the advantage of settlement of hamlets based on caste groups (caste-based tolas), which is prevalent in rural Bihar, and structured its approach to mobilization accordingly. It was mandatory for both project staff and community resource persons to first target the poorest households living on the outskirts/ fringes of the villages. It was also compulsory for all field staff to stay in the villages for developing good rapport and trust of community.

2. Targeting of the Poorest and Poor Communities

While recognizing SC, ST, EBC and OBC households as the poor groups, during the course of implementation, JEEViKA refined its focus on three main beneficiary groups according to their assets, income, consumption and well-being. This categorization was also useful in informing the interventions relevant for each of the categories. These groups are:

·Landless and those engaged in seasonal agricultural work and manual labourers. Households from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women headed households, etc., formed the bulk of this poorest segment;

·Small and marginal farmers, rural artisans/weavers and those self-employed in the urban informal sector as hawkers, vendors and workers in household micro-enterprises. This group largely comprised the poor but not the poorest;

Small and medium farmers engaged in surplus paddy and wheat, cotton, groundnut; and others engaged in dairying, poultry, fishery, etc. Among non-farm activities, this segment included those in villages and slums; engaged in processing or manufacturing activity, running provision stores, repair workshops, teashops, and various service enterprises.

This facilitated a continuous reflection on interventions being offered. For instance, landless households required different inputs from small and marginal farmers.

3.Evolving Institutional Mechanisms for Social Inclusion

Despite the prioritization of poorest hamlets during mobilization, analysis of process monitoring data suggested certain households, from poorest pockets were getting left out. The project realized that the need for institutional responses were likely to have uniform and sustained results. Some of these mechanisms were:

A. Transfer of responsibility for social mobilization to Village Organisations.

This was important as it allowed innovative and community-based approaches to mobilize poorest households. Focused capacity development of VO sub-committees on mobilizing the left out poor, creating supportive mechanisms such as a cadre of internal CRPs and community mobilizers (CMs) to handle tasks such as preparation and regular updating of the list of left-out households (extremely poor and vulnerable) who were not included in SHGs.

B. Scoping Community Resource Persons (CRPs).

In 2011, the project introduced exclusive scoping CRPs, who were trained in social mapping and participatory identification of poor households as part of CRP teams to ensure right targeting of rural poor households. These CRPs worked closely with VOs to identify left- out households and initiate home visits and counseling to ensure that these households are brought into the SHGs, or mobilized into separate SHGs.

C. Extending monetary incentives to the CRPs, CMs and VRPs for inclusion of SC/ST households.

This allowed greater focus on targeted household visits, understanding situations and challenges of these households and ensuring their participation in all activities of the project such as trainings, exposure visits and convergence efforts.

D. Fixing of social inclusion as one of the seven 'quality indicators' for VO's performance assessment.

This helped VOs evolve specific strategies, such as working closely with CRPs as well as Social Action Committees, to identify and contact the left-out households. Discussions with VOs show that initially the reluctance of some households was accepted as their choice or 'erroneous judgment' and therefore not an issue about which something could be done. However, gradually with increased orientation on social inclusion, they realized that it is important to understand their reasons for not joining, and then through home visits and counseling explore options, such as flexible norms, to promote their inclusion in SHGs.

4. Social Mobilisation by Village Organisations

In 2008, process monitoring was undertaken to identify the numbers and reasons for left-out households so as to make any corrective measures in the mobilisation approach. This process highlighted that 15–20% of the rural poor are yet to be mobilised. Many of these were extremely poor and vulnerable, migrant and households with irregular incomes and savings, etc. Based on the findings, a systematic strategy for identifying and mobilizing left-out households through a focused campaign by involving VOs was initiated across all operational blocks. The concerted efforts by VOs have resulted in higher coverage of left-out households in the SHG fold. 499 VOs were involved in the mobilisation drive and altogether 9,980 households were mobilised.

5. Effective and Timely Use of Project Monitoring and MIS Data to Track Excluded Households

At critical junctures, the project has paused and reflected on the data on inclusion in coverage and made mid-course corrections. This is the real power and use of data. The process monitoring reports in the year 2008–09, identified that the nearly 15–20% of the rural poor were yet to be mobilized. Again in 2013, process monitoring was conducted in selected three districts also made some key findings on these left-out households. Many of these were extremely poor and vulnerable households, migrant households and those households with irregular incomes and savings, etc. This use of data has been key in evolving institutional mechanisms to tackle exclusion.

lrr thfodkiktlu ;ktuk

"सतत् जीविकोपार्जन योजना" के अंतर्गत ग्राम संगठनों द्वारा लक्षित परिवारों का चयन कर उनका जीविकोपार्जन एवं आय आधारित गतिविधियों से जुड़ाव किया जायेगा।

fc हार सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु **"सतत् जीविकोपार्जन योजना"** की शुरूआत की गयी।

योजना का उद्देश्य

लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए "सतत् जीविकोपार्जन योजना" की शुरुआत 26 अप्रैल 2018 को की गई। अनुमान है कि इसके अंतर्गत लक्षित लगभग एक लाख अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन एवं आय आधारित गतिविधियों से जोड़ा जायेगा।

योजना की कार्यनीति

इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जीविका के माध्यम से किया जायेगा तथा योजना के तहत क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (Graduation Approach) अपनायी जाएगी।

इस कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण अवयव निम्नवत हैं:

1. **क्षमता संवर्धन**

इस योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों को ग्राम संगठन द्वारा चयनित कर स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जायेगा, जिसके अंतर्गत क्षमता संवर्धन हेतु निम्न कार्य किये जायेंगे –

क) लक्षित परिवारों के बीच स्वयं सहायता समूह के क्रियाकलापों एवं विशेषताओं पर व्यापक सूचनाओं का सम्प्रेषण।

ख) लक्षित परिवारों का सतत् क्षमता संवर्धन।

ग) प्रत्येक 30–50 लक्षित परिवारों के लिए एक सामुदायिक संसाधन सेवी की उपलब्धता।

2. **जीविकोपार्जन निवेश निधि**

इस अवयव के तहत –

क) लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि – लक्षित परिवारों के पक्ष में जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक दी जाएगी।

ख) जीविकोपार्जन निवेश राशि – इस अवयव के माध्यम से जीवीकोपार्जन सूक्ष्म योजना (Livelihoods Micro Planning) के आधार पर ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु निवेश की दिशा में औसतन रु. 60,000/– अधिकतम रु. 1,00000/–) प्रति परिवार सहयोग दिया जायेगा।

ग) आजीविका एवं आय की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ाव –

- उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास : लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण देकर जीविका के विभिन उद्यमी विकास कार्यक्रम तथा बैंकों से जोड़ा जाएगा।
- जीविकोपार्जन एवं आय से संबंधित गतिविधियों से जुड़ाव: सूक्ष्म योजना के तहत लक्षित परिवारों को गव्य, बकरी एवं मुर्गी पालन, कृषि संबंधित गतिविधि, नीरा, अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन एवं स्थानीय तौर पर आजीविका के लिए अनुरूप गतिविधियों से सम्बद्ध किया जायेगा। प्रत्येक गतिविधि हेतु क्षमता संवर्धन एवं वित्तीय सहयोग देने का प्रावधान किया जाएगा एवं प्रति इकाई लागत का निर्धारण कर उसी के अनुरूप वित्त पोषण किया जायेगा।

- कौशल विकास एवं नियोजन : लक्षित परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियोजित किया जायेगा।

3. **साझेदारी एवं सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से जुडाव:**

क) इस अवयव के अन्तर्गत चिह्नित परिवारों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, जिसमें मुख्यतः सात निश्चय कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं महादलित मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाएँ शामिल हैं। भूमिहीन परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बासगीत भूमि (Homestead land) उपलब्ध करायी जाएगी।

ख) इस अवयव के तहत लक्षित परिवारों को आजीविका के विकासात्मक योजनाओं यथा–गव्य विकास योजना, समग्र बकरी एवं भेड़ विकास योजना, समेकित मुर्गी विकास योजना तथा अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जायेगा एवं योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ साझेदारी की जाएगी।

सीएफटी से सुधरा मनरेगा कार्यक्रम

- **राज्य के 10 जिलों के 25 प्रखंडों में सीएफटी का क्रियान्वयन**
- सीएफटी का उद्देश्य मनरेगा अधिकार पाने एवं मनरेगा के क्रियान्वयन में सहायक

सीएफटी दल ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्य हेतु ग्रामीणों को जागरूक करने, योजनाओं को सहभागितापूर्ण नियोजन एवं स्वीकृति दिलाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोजगार दिवस का आयोजन कर जॉब कार्ड का निर्माण एवं रोजगार उपलब्ध कराने तथा उचित मजदूरी भुगतान से संबंधित कार्यों को भी सीएफटी दल द्वारा किया जाता है।

✍ राजीव रंजन
प्रबंधक-संचार, पूर्णिया

सीएफटी परियोजना वर्त्तमान में जीविका और ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के अभिसरण से राज्य के 10 जिलों के 25 प्रखंडों में गरीब परिवारों के आजीविका संवर्धन हेतु संचालित है। इस योजना का उद्देश्य मनरेगा अंतर्गत चलायी जा रही गतिविधियों जैसे कार्य योजना का निर्माण, काम की मांग, सामाजिक अंकेक्षण आदि में ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा समुदाय के कमजोर तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। परियोजना संकुल स्तरीय संघों द्वारा क्रियान्वित किया जा रही है। सीएफटी का उद्देश्य मजदूरों को उनके मनरेगा अधिकार पाने एवं मनरेगा के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में रोजगार सृजन, उपयोगी संपत्तियों का निर्माण एवं स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहे हैं। सीएफटी दल के सहयोग से संकुल संघ ग्रामीणों को मनरेगा पर जागरूक करने का कार्य कर रही है। साथ ही सहभागितापूर्ण नियोजन में सक्रिय रूप से भाग लेकर मजदूरों को संगठित कर उन्हें उनके अधिकारों की मांग में सहायता प्रदान की जाती है। मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इस कार्यक्रम में कलस्टर फेसिलेटेशन टीम (सीएफटी दल) का गठन किया गया है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कई हितधारक जैसे सीएलएफ की दीदियॉ सीएफटी दल के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी एवं मनरेगाकर्मी के साथ मिलकर काम करते हैं।

सीएफटी दल की ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका है। मनरेगा पर ग्रामीणों को जागरूक करने, योजनाओं को सहभागितापूर्ण नियोजन एवं स्वीकृति दिलाने में भी इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा रहती है। उनकी सीएफटी दल द्वारा रोजगार दिवस का आयोजन कर जॉब कार्ड का निर्माण एवं रोजगार के लिए आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। दल द्वारा स्वीकृत योजनाओं में काम शुरू करने के लिए टोला सभा का

आयोजन किया जाता है। मजदूरी भुगतान से संबंधित कार्यों को भी सीएफटी दल द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा प्रखंडों में सहायता केन्द्रों का संचालन भी किया जा रहा है। इन सहायता केन्द्र में मजदूरों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। सीएफटी का क्रियान्वयन राज्य के निम्न 10 जिलों के 25 प्रखंडों मे किया जा रहा है।

क्र.सं.	जिला	प्रखंड
1	बांका	कटोरिया
2	गया	बोधगया, डोभी, खिजरसराय
3	जमुई	चकाई, सोनो
4	कटिहार	कोढ़ा, मनिहारी
5	खगड़िया	खगड़िया सदर, अलौली, चौथम
6	मधुबनी	जयनगर, पंडौल, लखनौर
7	मुजफ्फरपुर	मुसहरी, मीनापुर, सरैया, कुढ़नी
8	नालंदा	राजगीर, हरनौत, नूरसराय
9	नवादा	रजौली, रोह
10	पूर्णिया	बड़हरा कोठी, धमदाहा

Ih,QVh I cny x;h ftUnxh

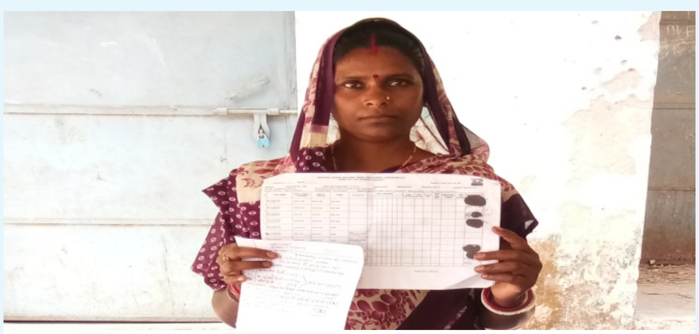

नाम – **श्रीमती पावित्री देवी**
पति का नाम – श्री प्रमानंद यादव
पता – कृत्यानंद नगर, प्रखंड काझा बनियापट्टी
जिला – पूर्णिया
समूह – विद्या जीविका स्वयं सहायता समूह

35 वर्षीय पावित्री देवी पूर्णयाँ जिला अंतर्गत बड़हरा कोठी प्रखण्ड के ओरलाहा गाँव की निवासी है। इनके परिवार में इनके पति, दो पुत्र एवं एक पुत्री हैं। पावित्री देवी ने आठवीं तक पढ़ाई की है। उनकी शादी मात्र 15 वर्ष की उम्र में ओरलाहा गाँव में प्रमानंद यादव के साथ हो गयी। पावित्री देवी की ससुराल का परिवार काफी गरीब था और उसके पास काफी कम जमीन थी। परिवार का भरण–पोषण दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से होता था। उनके पति को शराब पीने की बुरी आदत थी। शराब पीने के बाद उनके पति पावित्री देवी साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ससुराल में बेटी की दयनीय स्थिति को देख उनके पिता ने उन्हें मायके में ही रहने की बात कही। पावित्री देवी कहती हैं कि–उन्होंने पिता की बात को सुना जरूर लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी और अपनी जिन्दगी को बेहतर करने की कोशिश करूँगी। बेटी की जिद को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें 2002 में में 11 कट्ठा जमीन दी। पिता द्वारा कृत्यानंद नगर प्रखंड अंतर्गत काझा बनियापट्टी में दी गयी जमीन पर पावित्री देवी ने खेती आरंभ कर दिया।

इसी बीच वर्ष 2009 में पावित्री देवी 'विद्या जीविका स्वयं सहायता समूह' से जुड़ गयीं और पंचसूत्र का पालन करने लगीं। वर्ष 2010 में विद्या जीविका स्वयं सहायता समूह को विकासशील जीविका महिला ग्राम संगठन से जुड़ने का मौका मिला एवं पावित्री देवी इस ग्राम संगठन की

अध्यक्ष चुनी गयीं। दो साल बाद वर्ष 2012 में ग्राम संगठन, अर्पण जीविका महिला संकुल संघ में जुड़ गया। पावित्री देवी बताती हैं कि वे संकुल संघ की बैठक में जाने लगीं तथा वहाँ जाकर उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। संकुल संघ के अन्तर्गत गरीब दीदियों के लिए कई प्रकार की आजीविका के श्रोत उपलब्ध हैं। ''इसे अच्छी तरह समझने के लिए संकुल संघ अन्तर्गत होने वाली बैठकों एवं कार्यक्रमों में मैं ज्यादा समय देने लगी''। पावित्री देवी बताती हैं कि वर्ष 2015 में ग्राम संगठन की एक बैठक में क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम यानि सी॰एफ॰टी॰ के मनरेगा सलाहकार द्वारा उन्हें मनरेगा के बारे में थोड़ी जानकारी दी गयी। बाद में ग्राम संगठन की आम सभा में सभी दीदियों को मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए मनरेगा सलाहकार को बुलाया गया। मनरेगा सलाहकार द्वारा ग्राम संगठन की आम सभा में मनरेगा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। पावित्री देवी मनरेगा योजना के तहत होने वाले क्रियाकलापों को समझकर अपने पंचायत ओरलाहा में ''मेट'' का काम करने लगीं।

कुछ माह बाद वह संकुल संघ अन्तर्गत मनरेगा वी0आर0पी0 के पद पर काम करने के लिए चयनित हुईं। पावित्री देवी अपने पंचायत और ग्राम संगठन में सभी को मनरेगा के बारे में जानकारी देने लगीं। वे पंचायत की गरीब दीदियों को मनरेगा योजना से मिलने वाले काम का अधिकार दिलाने के लिए जागरुक करने लगीं ताकि इससे कोई वंचित नहीं रह जाए। मनरेगा से काम दिलाने हेतु सी॰एफ॰टी॰ अंतर्गत उनकी पंचायत के ग्राम संगठन के सदस्यों को मजदूर संगठन का गठन कर उसके साथ संगठित किया जाने लगा। उसने गरीब दीदियों को संगठन से जुड़कर लाभ लेने की जानकारी दी तथा एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वह अपना उदाहरण देकर सभी को काम करने तथा संगठन की नियमित बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

वे मनरेगा अंतर्गत काम की माँग से लेकर भुगतान मिलने तक के बारे में अपने पंचायत की सभी दीदियों को जागरुक करती है। वे दीदियों का जॉब कार्ड बनवाने, काम की माँग का आवेदन तैयार करवाने में भी मदद करती हैं। वर्ष 2017 में उनके पंचायत में 2 नए मनरेगा वी0आर0पी0 के कार्य करने के बाद उनके कार्य क्षेत्र में मात्र एक मजदूर संगठन रह गया, जिसका नाम है मुस्कान जीविका महिला मजदूर संगठन। इस मजदूर संगठन से तीन ग्राम संगठन (विकासशील, विश्वास एवं यमुना) से 160 दीदियाँ जुड़ी हैं।

पावित्री देवी का कहना है कि ''काम की माँग के लिए पहले हमें प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। दिन–भर समय देने के बावजूद वे पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी से नही मिल पाती थीं। फोन करने के बाद बहाना बना दिया जाता था। मैं उन सबके पीछे पड़ी रही और मजदूर संगठन की दीदियों को लेकर मनरेगा प्रखंड कार्यालय आ गई। उसके बाद से ग्राम संगठन तथा मजदूर संगठन तक खुद पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी आने लगे। काम की माँग का आवेदन पंचायत रोजगार सेवक मजदूर संगठन में आकर प्राप्त करने लगे।'' पावित्री देवी बताती हैं कि पहली बार उनके द्वारा 100 दीदियों के लिए काम का आवेदन पंचायत रोजगार सेवक को दिया लेकिन मास्टर रोल में 60 दीदी का ही नाम आया। मार्च 2017 में 60 दीदी को 14 दिन का काम मिला तथा सभी ने मिलकर काम किया। काम खत्म होने के 15 दिन बाद मजदूरी की राशि दीदियों के बैंक खाते में आ गयी।

सी॰एफ॰टी॰ योजना अंतर्गत पावित्री देवी को दीदियों के लिए काम की माँग को मनरेगा कार्यालय में जमा कराने तथा किये गए कार्य का भुगतान करवाने के बदले प्रोत्साहन राशि मिलती है। पावित्री देवी को प्रत्येक माह प्रोत्साहन राशि के तौर पर 2500–3000 रुपये की आय हो जाती है। वर्तमान में पावित्री सी॰एफ॰टी॰ से लाभान्वित होकर अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से जीवनयापन कर रही हैं।

dk l h dh /kjrh i j gk jgh eycjh dh [krh

- **परियोजना क्षेत्र** : सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया एवं अररिया
- **सहायक कलस्टर**– किशनगंज एवं भागलपुर
- **संचालक एजेंसी** : हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना
- **कार्यान्वयन एजेंसी** : **जीविका**/रेशम की क्षेत्रीय इकाइयाँ
- **तकनीकी सलाह** : केन्द्रीय रेशम बोर्ड

✍ विकास कुमार राव, संचार प्रबंधक, सुपौल

fcहार के मुख्यमंत्री द्वारा शहतूत की खेती एवं रेशम कीट के पालन के अवलोकन के उपरांत कोसी एवं पूर्णिया प्रमंडल में शहतूत के विकास के लिए परियोजना तैयार करायी गयी और 10 फरवरी 2014 से प्रारंभ कर राज्य के मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना द्वारा मलवरी की खेती एवं रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परियोजना का लाभ जीविका की दीदियों को प्राप्त हो रहा है।

बिहार में तीन प्रकार के रेशम–मलवरी, तसर एवं अंडी का उत्पादन होता है। जलवायु एवं मिट्टी की अनुकूलता के हिसाब से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में मलवरी की खेती एवं कीटपालन होता है। यही कारण है कि इस परियोजना के तहत कोसी एवं पूर्णिया प्रमण्डल के सभी सात जिलों यथा– सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया को मलवरी एवं रेशम उत्पादन के लिए विकसित करने का लक्ष्य है। दरअसल कोसी क्षेत्र की मिट्टी एवं जलवायु शहतूत की खेती और रेशम कोसी उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसकी खेती के लिए मटियार दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से जिन खेतों में मुख्य फसलें नहीं उगाई जा सकती वहां शहतूत की खेती की जा सकती। यही कारण है कि पहले चरण में यह परियोजना कोसी क्षेत्र के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में शुरू की गई। वैसे करीब दशक भर पहले भी इन क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से शहतूत की खेती की जाती थी। लेकिन हाल के वर्षों में यह पूरी तरह

मलवरी रेशम उत्पादन के विभिन्न चरण

रेशम उद्योग के मुख्यतः 6 चरण हैं:

1) रेशम कीट के भोज्य पदार्थ यानी शहतूत के पौधों का संबर्द्धन
2) अंडा उत्पादन/बीजागार
3) कीटपालन
4) सूत उत्पादन
5) वस्त्र उत्पादन और
6) पोशाक उत्पादन

परियोजना के अंतर्गत इन सभी चरणों का समावेश किया गया है।

उन्मूलित हो गई थी। सरकार के प्रयास से अब यहां नए सिरे से वैज्ञानिक पद्धति के साथ शहतूत की खेती की जा रही है। रेशमनगरी के रूप में विश्वविख्यात भागलपुर के अतिरिक्त बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, नालन्दा, मधुबनी, एवं पूर्वी चम्पारण में रेशम सूत एवं वस्त्र का उत्पादन होता है।

परियोजना का लक्ष्य

- शहतूत की खेती से एक वर्ष में प्रत्येक किसान को प्रति आधे एकड़ खेत में करीब 48,000 रुपये तक की आय अर्जित कराना एक प्रमुख लक्ष्य है
- ककून उत्पादन के वर्त्तमान वार्षिक स्तर 122 मी0 टन को बढ़ाकर 1205 मी0 टन करना।
- सूत उत्पादन के वर्त्तमान वार्षिक स्तर 15 मी0 टन को बढ़ाकर 172 मी0 टन करना।
- वर्त्तमान में राज्य में कुल 5.4 करोड़ रूपये के रेशम सूत का उत्पादन हो रहा है जिसे वर्त्तमान मूल्य के अधार पर परियोजना अवधि में बढ़ाकर प्रतिवर्ष 51.30 करोड़ करना।

परियोजना संचालक

प्रत्येक जिले में जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका एवं हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग के पदाधिकारी एवं सभी कर्मी योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। सैपलिंग उत्पादन, वृक्षारोपण एवं रख–रखाव में जीविका के साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा की मुख्य भूमिका होती है।

मलवरी रेशम का जीवन चक्र

मुख्यमंत्री कोसी मलवरी परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

- मलवरी की खेती हेतु किसानों का चयन
- चयनित किसानों के नामों की सूची का डीएलएमसी की बैठक में अनुमोदन।
- डीएलएमसी की बैठक में अनुमोदित किसानों को मलवरी की खेती हेतु प्रशिक्षण देना।
- प्रशिक्षित किसानों से मलवरी के वृक्षारोपण हेतु जमीन तैयार करवाना।
- मलवरी के वृक्षारोपण हेतु किसानों को मनरेगा की मदद से सैपलिंग्स या कटिंग्स उपलब्ध करवाना।
- प्रत्येक किसान के आधा एकड़ खेत में 2700 पौधे लगवाना।
- प्रति 5 किसान को मिलाकर सिंचाई समूह का गठन किया जाना ताकि पौधों की सिंचाई के लिए उद्योग विभाग की तरफ से प्रत्येक समूह को बोरिंग और पम्प सेट प्राप्त हो सके।
- प्रत्येक 40 किसानों को एकत्रित कर उत्पादक समूह का निर्माण किया जाना।
- मलवरी का पौधारोपण करने वाले किसानों को मनरेगा की तरफ से पारिश्रमिक का भुगतान कराया जाना ।
- मलवरी किसानों को रेशम एवं हस्तकरघा निदेशालय की तरफ से कीट पालन उपष्कर उपलब्ध करवाना।
- रेशम कीट पालन हेतु किसानों को डीएफएल (रोग मुक्त चक्ता या अंडा) की आपूर्ति।
- किसानों द्वारा कीट पालन किया जाना।
- कोकून का उत्पादन।
- उत्पादित कोकून की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराना।

मलवरी किसानों का चयन एवं प्रशिक्षण

परियोजना के अन्तर्गत राज्य में कुल 2900 एकड़ भूमि पर शहतूत की खेती का लक्ष्य है। यह लक्ष्य मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण के लक्ष्यों के साथ मिलकर प्राप्त किया जाना है। इसके लिए किसानों को उत्प्रेरित करने की जवाबदेही ''जीविका'' की है। लोक निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के तहत शहतूत का उत्पादन करने वाले किसान को आधा एकड़ खेत (एक इकाई) में प्रतिवर्ष लगभग 48000 रुपये प्राप्त हो सकेगा।

किसान मलवरी का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं उत्तम तकनीक के साथ कीट पालन और रेशम उत्पादन कर सके इसके लिए प्रत्येक चरण में प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रशिक्षण का कार्यान्वयन मुख्यरुप से जीविका, मनरेगा, कृषि विभाग एवं हस्तकरघा एवं रेशम विभाग के द्वारा समेकित रुप से किया जाता है।

मलबरी की खेती में किसानों को सरकारी सहायता

मलबरी की खेती में किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद पहुँचाई जाती है। एक इकाई यानी आधा एकड़ खेत में मलबरी के 2700 पौधे लगाए जाते हैं। प्रति पौधे 1.50 रुपये की दर से पैसे का भुगतान मनरेगा मद से किया जाता है। इसके अलावा मनरेगा से ही किसानों को 177 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिनों तक मानव श्रम की मजदूरी एवं बोरिंग के लिए 5,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कुल मिलाकर आधा एकड़ खेत में मलबरी की खेती करने वाले किसानों को 35,268 रुपये दिए जाते हैं। इसका विवरण निम्न है–

इसके अतिरिक्त किसानों को दूसरे एवं तीसरे वर्ष भी मलबरी पौधों की देखभाल के लिए मनरेगा निधि से प्रत्येक साल 177 रुपये की दर से 100 मानव दिवस के श्रम के लिए 17,700 रुपये दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना का क्रियान्वयन सुपौल समेत कोसाी एवं सीमांचल क्षेत्र के 7 जिलों–सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017–18 तक प्रदर्शनों के आधार पर सुपौल में अब तक 878 किसान इस गतिविधि से जुड़ कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। वहीं किशनगंज में अब तक कुल 693 किसान ही मलवरी की खेती से जुड़े हैं। इसी तरह मधेपुरा में 516 एवं सहरास में 509 किसानों ने मलवरी की खेती की है। अब तक सबसे खराब प्रदर्शन कटिहार का रहा है, जहां केवल 45 किसानों ने इसकी खेती की है।

^ .	विवरणी	सामग्री/मद	दर	धनराशि रु. में
1.	मलवरी के 2700 पौधे की कीमत	सैपलिंग/कटिंग्स की आपूर्ति	1.50 रुपये प्रति पौधे	4,050
2.	पौधे के लिए जमीन की खुदाई	34 मानव दिवस का श्रम	177 रुपये प्रति दिन	6,018
3.	मलवरी पौधे की देखरेख	100 मानव दिवस का श्रम	177 रुपये प्रति दिन	17,700
4.	जैविक खाद, फफूंद नाशक	––	–––	2,500
5.	बोरिंग/सिंचाई के लिए			5,000
6.	**कुल राशि**			**35,268**

eycjh dh [krh l bUnq u viu ?kj dk lokjk

नाम	–	**श्रीमती इन्दु देवी**
पति	–	श्री उमेश मेहता
पता	–	मोहनपुर, वार्ड नं. 01, कोचगामा
प्रखंड	–	बसंतपुर, सुपौल
समूह	–	जानकी जीविका स्वयं सहायता समूह
ग्राम संगठन	–	तिरंगा जीविका महिला ग्राम संगठन

Oर्ष 2008 में कोसी का कुसहा बांध टूटते ही पूरा बसंतपुर प्रखंड प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में था। देखते ही देखते पूरा इलाका जलमग्न हो गया। जान–माल का भारी नुकसान हुआ था। बाढ़ खत्म होते ही चारों ओर फैली तबाही, अपनों के बिछड़ने का दुख–दर्द और बाद में महामारी ने बचे लोगों को पूरी तरह तोड़ दिया था। बाढ़ के बाद अब गरीबी उनके सामने विकराल रूप धारण किए खड़ी थी। दरअसल अब खेती पर आश्रित रहने वाले इन गरीबी परीवारों के लिए अब खेती का भी एकमात्र सहारा छीन गया, क्योंकि बाढ़ की वजह से चारों ओर खेतों में करीब 2 से 3 फुट तक रेत जमा हो गया था, जिसपर खेती करना असंभव हो गया था। बसंतपुर प्रखंड में मोहनपुर गांव की रहने वाली इन्दू देवी भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रही थी।

इन्दू देवी के पास 2 एकड़ जमीन है। लेकिन बाढ़ के बाद इस पर रेत जमा हो जाने की

वर्ष 2008 में कोसी का कुसहा बांध टूटते ही पूरा बसंतपुर प्रखंड प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में था। देखते ही देखते पूरा इलाका जलमग्न हो गया। जान–माल का भारी नुकसान हुआ था। बाढ़ खत्म होते ही चारों ओर फैली तबाही, अपनों के बिछड़ने का दुख–दर्द और बाद में महामारी ने बचे लोगों को पूरी तरह तोड़ दिया था। बाढ़ के बाद अब गरीबी उनके सामने विकराल रूप धारण किए खड़ी थी। दरअसल अब खेती पर आश्रित रहने वाले इन गरीब परिवारों के लिए अब खेती का भी एकमात्र सहारा छिन गया, क्योंकि बाढ़ की वजह से चारों ओर खेतों में करीब 2 से 3 फुट तक रेत जमा हो गया था, जिसपर खेती करना असंभव हो गयी थी। बसंतपुर प्रखंड में मोहनपुर गांव की रहने वाली इन्दू देवी भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रही थी।

इन्दू देवी के पास 2 एकड़ जमीन है। लेकिन बाढ़ के बाद इस पर रेत जमा हो जाने की वजह से यहां खेती करना बेहद मुश्किल हो गया था। इससे इन्दू देवी के परिवार की रोजी–रोटी का एकमात्र जरिया भी छीन गया। काफी मेहनत के बाद भी जमीन को खेती लायक नहीं बनाया जा सका। इससे इन्दू देवी और उसके परिवार के लिए घर छोड़ दूसरी जगह पलायन करने की मजबूरी हो गई। लेकिन अपनी दो बेटियों और एक बेटे के अलावा सास–ससूर को लेकर जाती भी तो कहां जाती? इसी चिंता में उसका समय किसी तरह व्यतीत हो रहा था। मार्च 2014 में मोहनपुर गांव में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा था। इन्दू देवी भी जानकी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। समूह से जुड़ने के बाद वह नियमित बैठक में हिस्सा लेती और 10–10 रुपये नियमित साप्ताहिक बचत करती। यह समूह तिरंगा ग्राम संगठन में जुड़ गया।

इसी बीच वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना की शुरुआत की जा रही थी। जीविका द्वारा जानकी ग्राम संगठन को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु चिहि्नत किया गया। इन्दू देवी की लगन और मेहनत करने के इरादे को देखते हुए ग्राम संगठन ने उसे वीआरपी नियुक्त कर दिया। इन्दू देवी को मलवरी की खेती का कोई ज्ञान नहीं था। शुरुआत में वह बेहद घबराई हुई थी कि वह अपने साथ–साथ कम से कम 40 किसानों को मलवरी की खेती कैसे करवाएगी। जीविका द्वारा मलबरी की खेती की तकनीक पर प्रशिक्षण हेतु उन्हें पूर्णिया भेजा गया। प्रशिक्षण के उपरान्त इन्दू देवी का आत्मविश्वास बढा। इसी वर्ष उन्होंने न केवल अपने खेतों में मलवरी पौधे का वृक्षारोपण किया बल्कि अपने गांव की अन्य महिला किसानों को इसका लाभ बताकर उन्हें इस योजना से जोड़ा। प्रथम वर्ष (2014–15) में इन्होंने अपने आधा एकड़ खेत में मलवरी पौधों का वृक्षारोपण किया। शुरुआत में पौधे सूखने लगे थे लेकिन बाद में मनरेगा से बोरिंग और उद्योग विभाग से पम्प सेट मिलने से उसने अपने खेतों की अच्छी तरह सिंचाई की, जिससे आधा एकड़ खेत में करीब–करीब 2500 से ज्यादा पौधों को बचाया जा सका। पौधा तैयार होने के बाद इसमें काफी संख्या में पत्ते उग आए। जीविका ने उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें मलवरी रेशम कीट पालन उपस्कर प्रदान किया। इसके अलावा करीब 75 रोग मुक्त चक्ता (डीएफएल) कीट पालन हेतु दिये गये। पूर्णिया से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटी इन्दू देवी के मन में इस नए काम को लेकर काफी उत्साह था। उसने इस काम को मन लगाकर किया। इसमें जीविका के जीविकापार्जन विशेषज्ञ के द्वारा भी भरपूर मदद पहुंचाई गई। परिणामस्वरूप वह पहली बार रेशम कीट पालन करते हुए कोकून उत्पादन करने में सफल रही। आखिरकार करीब 25 किलोग्राम कोकून का उत्पादन हुआ। इन्दू देवी ने उसे 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दिया। इससे उन्हें 5,500 रुपये की आमदनी हुई। इन्दू देवी और उसके परिवार को मलवरी की खेती में रोजी–रोटी की नई आस दिखी। वह अगले सीजन में भी कीट पालन के तैयार थी। इस बार उसने 100 डीएफएल की मांग की। सफलतापूर्वक कीट पालन के बाद इन्दू देवी ने अकेले करीब 34 किलोग्राम कोकून का उत्पादन किया। इसकी बिक्री से उसने 6,564 रुपये की आय अर्जित की। इन्दू देवी और उसका परिवार इस काम को मन से कर रहा है, और इनसे प्रभावित होकर मोहनपुर गांव की अन्य महिलाएं भी मलवरी कीट पालन के लिए प्रोत्साहित हुईं हैं।

इन्दू देवी अपने खेत में धान, गेहूं और मक्के की खेती करती थीं। वह बताती है कि इससे साल भर में बमुश्किल 20 से 25 हजार रुपये की आय हो पाती थी। खेती का खर्च निकाल देने से उसके पास परिवार के भरण–पोषण के लायक पैसे नहीं बच पाते। बेहद तंगहाली में उसका जीवनयापन हो पाता था। लेकिन जब से उसने मलवरी की खेती और कोकून उत्पादन के कार्य से जुड़ी है उसकी आमदनी करीब दो गुनी बढ़ गई है। साल भर में चार सीजन के दौरान कोकून का उत्पादन होता है। वह चारों सीजन में कोकून का उत्पादन कर साल भर में लगभग 50 से 55 हजार रुपये की आय अर्जित कर रही है। इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त उन्हें योजना के तहत कई लाभ और प्रोत्साहन मिले हैं। मनरेगा और उद्योग विभाग की तरफ से कई लाभ प्राप्त हुए हैं। मनरेगा से 2700 मलवरी पौधारोपण हेतु सैपलिंग, प्रथम वर्ष 34 दिन की मजदूरी, इसके बाद अगले तीन वर्ष तक 100–100 कार्य दिवस की मजदूरी के अलावा खाद के लिए 2500 रुपये का भुगतान हुआ है। इसके अलावा मनरेगा के द्वारा बोरिंग की सुविधा भी दी गई। वहीं उद्योग विभाग की तरफ से प्रति पांच किसान एक बोरिंग सेट, मलवरी रेशम कीट पालन उपस्कर और कीट पालन गृह के निर्माण में मदद जैसी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार इन्दू देवी के मलवरी परियोजना से जुड़ने के बाद उसके परिवार में खुशहाली आई है।

pikj.k lR;kxg d 'krkCnh o"k ij vk;kftr lR;kxg l LoPNkxg dk;Øe

गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान मे 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' 2 से 10 अप्रैल 2018 तक कार्यक्रम, चंपारण (बिहार) में आयोजन किया गया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था 'स्वच्छता, ईश्वर भक्ति के बराबर है।' उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था और वह चाहते थे की भारत के सभी नागरिक स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। उनकी परिकल्पना में स्वतन्त्रता और स्वच्छता सहचर थे। उन्होने कहा था कि "स्वच्छता राजनैतिक आजादी से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है"। वे राष्ट्र को स्वस्थ, समृद्ध और सार्वभौमिक रूप से विकसित देखना चाहते थे। चंपारण सत्याग्रह को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 'मील का पत्थर' कहा जाता है। वर्ष 2017–18, चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष था। इस अवसर पर 100 वर्ष बाद चंपारण की धरती एक और आग्रह 'स्वच्छाग्रह' के लिए तैयार की गयी। पूरे देश एवं विश्व में स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 2 से 10 अप्रैल 2018 तक चंपारण (बिहार) से स्वच्छाग्रह की शुरुआत की। चंपारण स्वच्छाग्रह मे पूरे देश से करीब दस हज़ार स्वच्छाग्रहियों को आमंत्रित किया गया जिन्होंने इस राज्य के विभिन्न जिलों के स्थानीय स्वच्छाग्रहियों के साथ गाँव–गाँव जाकर 'स्वच्छाग्रह' किया। स्वच्छाग्रह के लिए चयनित स्वच्छाग्रहियों ने 6 दिनों तक बिहार के गाँवों मे रहकर समुदायों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर खुले मे शौच की प्रथा को समाप्त करने और खुले मे

शौच से मुक्ति का स्थायित्व बनाए रखने के लिए कार्य किया तथा समुदाय को व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वच्छता के लिए प्रेरित किया।

गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंपारण की पावन धरती सौ साल बाद स्वच्छाग्रह की गवाह बनी।

देश भर के विभिन्न और बिहार के विभिन्न जिलों राज्यों से आए करीब 20 हज़ार स्वच्छाग्रहियों को माननीय प्रधान–मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल, 2018 को मोतीहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान मे संबोधित किया।

इस अवसर पर **माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी** ने कहा कि "भारत की तीन बड़ी कसौटियों पर बिहार ने देश को रास्ता दिखाया। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत की मुक्ति के लिए बिहार ने 'मोहनदास' को 'महात्मा' बना दिया। किसानों के सामने जब भूमि का संकट उत्पन्न हुआ तो संत विनोबा भावे ने भू–दान आंदोलन खड़ा किया। जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया तो जे.पी. उठ खड़े हुए। मुझे गर्व है कि 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' की यात्रा में बिहार ने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है।" प्रधानमंत्री ने स्वच्छता मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। स्वच्छाग्रहियों का उत्साहवर्द्धन करते हुए माननयी प्रधानमंत्री ने कहा कि "ये स्वच्छाग्रही हमारे हजारों हाथ की तरह हैं। अब मैं हजारों हाथ वाला पीएम बन गया हूं।" उन्होने कहा कि स्वच्छाग्रहियों में वे गांधीजी का अंश देख रहे हैं। स्व्च्छाग्रहियों के महत्त्व को रेखांकित करने के क्रम में उन्होंने कहा कि देश के गांव–गांव में स्वच्छता चैंपियन बनाने का काम होगा। जो लोगों को स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वच्छता अभियान को हर व्यक्ति और परिवार तक पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं चलाईं जा रहीं हैं। राज्य में जिन परिवारों के पास रहने के लिए अपनी भूमि नहीं है, उनके लिए सरकारी जमीन पर एक साथ कई शौचालय निर्माण कराकर चाबी उन्हें सौंप दी जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता अभियान के लिए कृतसंकल्प है और बिहार तय समय सीमा में खुले में शौच से मुक्त होगा। इसके लिए 02 अक्टूबर 2019 तक हमें इतना काम करना होगा कि उस दिन पूरा देश स्वच्छ हो जाए। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'हर घर नल का जल', 'हर घर बिजली', 'हर घर पक्की नाली व सड़क' पर काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को शुद्ध पेयजल और खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए तो अधिकांश बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाएगी।

चंपारण की भूमि पर पीएम का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान पर बल दिया है, वह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। जब बापू चंपारण आए थे, तब उन्होंने गांवों का भ्रमण कर यहां के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया था। सबसे पहले समाजवादी नेता डॉ राममनोहर लोहिया ने गांधीजी के बाद शौचालय एवं स्वच्छता और शौचालय का मुद्दा उठाया था। यदि 10 से 15 प्रतिशत लोगों ने भी उनके विचारों को अपना लिया तो देश और समाज बदल जाएगा।

केंद्रीय मंत्री, सुश्री उमा भारती ने कहा कि गांधीजी ने जो सपना देखा था, उसे पूरा करने का संकल्प हम सबने लिया है। गांधीजी ने चंपारण की धरती से स्वच्छाग्रह का नारा दिया था। गांधीजी का सपना था कि नदियों एवं तालाबों के किनारे साफ हों। महिलाएं खुले में शौच हेतु न जाएं। सबको सस्ता इलाज, कपड़ा, रोटी और न्याय मिले, सम्मान के साथ साफ–सुथरा भारत मिले, इस सपने को प्रधानमंत्री साकार कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तीसरी बार मोतिहारी आए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में साफ–सफाई का माहौल बना है। घर–घर शौचालय बन रहे हैं। लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। देश में स्वच्छता एवं स्वच्छाग्रह का वातावरण बना है। इस अभियान में देशवासी प्रधानमंत्री के साथ हैं।

केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि चंपारण की धरती ने देश को नई दिशा दी। गांधीजी एक अनजान व्यक्ति के बुलावे पर यहां आए थे और उन्होंने सत्याग्रह के साथ स्वच्छाग्रह की सीख दी थी। सत्याग्रह आजादी की लड़ाई में बड़ा हथियार साबित हुआ। आज देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। इस जागरूकता से समाज में काफी बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गर्व है कि स्वच्छता के मामले में प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सौ साल पहले महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती से स्वच्छता का संदेश दिया था। गांव–गांव घूमकर स्वच्छता और खुले में शौच नहीं करने की बात कही थी। भारत स्वच्छ हो, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। जिस तरह सत्याग्रह ने आंदोलन के जरिये 11 महीने में ही अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया उसी तरह 2 अक्टूबर 2019 तक गंदगी से पूरी तरह आजादी हासिल करनी है।

कार्यक्रम में माननीय श्री गिरिराज सिंह (राज्य मंत्री, सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार), श्री राम कृपाल यादव (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार), श्री अश्विनी चौबे (राज्य मंत्री, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, भारत सरकार), श्री श्रवण कुमार (मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार), श्री विनोद नारायण झा (मंत्री, पी॰एच॰ई॰डी॰, बिहार सरकार), श्री प्रमोद कुमार (विधायक, मोतीहारी, बिहार) ने भाग लिया एवं स्वच्छाग्रहियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों मे

उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित भी किया। चयनित स्वच्छाग्रहियों में बिहार के नालंदा जिले की रिंकू कुमारी भी शामिल थीं।

सभी स्वच्छाग्रहियों द्वारा निम्न कार्य किये गए :–

- स्थानीय स्वच्छाग्रहियों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत की स्वच्छता की स्थिति का आकलन किया।
- जन प्रतिनिधियों, स्वाभाविक नेताओं, विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं एवं समुदाय के साथ चर्चा की।
- बैठक के उपरांत ग्राम पंचायत में अगले पांच दिनों में किये जाने वाली गतिविधियों की कार्य–योजना तैयार की।
- आवंटित पंचायतों में रहकर समुदाय आधारित स्वच्छता विधि को अपनाते हुए विभिन्न स्तर यथा समुदाय, विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र पर व्यवहार परिवर्तन की गतिविधियां संचालित की।
- समुदाय को दो गड्ढ़ों वाला जलबंध (लीच पिट) शौचालय तकनीक की जानकारी देकर शौचालय निर्माण में सहायता की।
- ग्राम गौरव यात्रा एवं खुले में शौच से मुक्ति समारोह आयोजित की।
- प्रखंड एवं जिले को किये गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गयी।
- 10 अप्रैल 2018 को चंपारण स्वच्छाग्रह समारोह में शामिल हुए।

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का दैनिक कार्यक्रम

दिनांक	दिवसवार गतिविधियाँ
3.4.18	+ रीक्षण एवं सभी राज्यों से आये स्वच्छाग्रहियों का स्वागत किया गया और अगले दिन होने वाली गतिविधियों से अवगत कराया गया।
4.4.18	ए रू ठ रू / सहित रैली, कैंडिल मार्च, CLTS triggering जैसी गतिविधियों का आयोजन हुआ और संध्या निरीक्षण भी किया गया।
5.4.18	ए रू आयोजन हुआ जिनमें शपथ ग्रहण, रंगोली, स्वच्छाग्रहियों के साथ संवाद, रैली, कैंडल मार्च, रात्रि चौपाल आदि शामिल थे।
6.4.18	रू / ठ + ग. ठ गड्ढा खोदो अभियान, जीविका दीदियों द्वारा कैंडिल मार्च, शपथ एवं रैली सहित सायं निरीक्षण का आयोजन किया गया।
7.4.18	– . रू रू साथ ही प्रखंड अधिकारियों और स्वच्छाग्राहियों द्वारा शौचालय निर्माण हेतु गड्ढा खोदो अभियान एवं पदयात्रा का आयोजन किया गया।
8/5.18	/ + ग. रू रू, स्कूली बच्चों, जीविका दीदियों द्वारा रैली निकाली गयी, रात्रि चौपाल के आयोजन के साथ साथ कैंडल मार्च का आयोजन हुआ।
9.4.18	+ ग. . ठ रू स्तर पर प्रखंड परियोजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक, मानव श्रृंखला, गड्ढा खोदो अभियान एवं कैंडल मार्च का आयोजन हुआ।
: .4.18	रू रू रू . . रू रूठ साथ ही स्वच्छता सम्बन्धी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया।
21.4.18	ब्ब रू : 9 रू स्वच्छाग्रहियों को प्रधानमंत्री ने संबोधित कर स्वच्छता के प्रति उनका उत्साहवर्धन किया गया।

[ky e 'kkp l efDr dk l i uk gvk lkdkj

✍ रौशन कुमार, संचार प्रबंधक, बक्सर

l dYi

- कभी पैसे की तंगी तो कभी किसी और कारण से शौचालय बनाने का काम टल जाता।
- रोजमर्रा के खर्चों में कटौती कर किया पैसा का इंतजाम और बनाया शौचालय।

बक्सर जिले के सदर प्रखंड के पांडेपट्टी पंचायत का छोटा सा गाँव है चक्रहसी। जिला मुख्यालय से लगभग सात किलोमीटर दूर अवस्थित चक्रहसी गाँव का वजूद देश की आजादी के पूर्व से ही है। लगभग सवा दो सौ घरों के इस गाँव की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति काफी दयनीय है। लोगों की रोजी–रोटी या तो खेतों में या फिर शहर में आकर मजदूरी कर चलती है। गाँव में कुछ पक्के मकान दिखते हैं लेकिन गाँव के अन्दर जाने पर झोपड़ीनुमा मकान गाँव की आर्थिक स्थिति को बयां करती हैं। कई समस्याओं के बीच इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गाँव के हर घर में शौचालय है। हर घर में शौचालय होने की वजह है गाँव की महिलाओं का अपनी धुन का पक्का होना। स्थानीय महिलाओं ने यह ठान लिया कि न तो खुले में शौच के लिए जायेंगी और न ही किसी को जाने देंगी। गाँव में गठित मस्तानी जीविका महिला ग्राम संगठन से जुडी 13 जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने पिछले छह माह से खुले में शौच मुक्त अभियान चला रखा है। हर उम्र के लोग अपनी आदत के अनुसार खुले में शौच के लिए जाते थे। हर घर में शौचालय बनाना आसान नहीं था। इसके लिये महिलाओं ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर खुद के साथ ही अन्य लोगों को भी खुले में शौच नहीं करने के लिए जागरूक किया। कुछ ने शौचालन बना भी लिया पर अपेक्षाकृत गरीब गाँव में सबके लिए शौचालय बनाना संभव नहीं था, जिन्हें भर पेट खाना भी नसीब नहीं था उनके लिए घर में शौचालय का होना सपने से कम नहीं था। सपने को साकार करने की ठान चुकी महिलाओं ने जीविका समूह से 15–15 हजार रूपया ऋण लेकर घरों में शौचालय बनाना शुरू किया। जो दीदी तत्काल शौचालय नहीं बना पाने की स्थिति में थी वह दूसरे के घरों में बने शौचालय का उपयोग करने लगीं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पहले ही दौर में जीविका समूह की 60 सदस्यों ने अपने–अपने समूह से ऋण लेकर घरों में शौचालय का निर्माण कराया। इन्हें देखकर अन्य घरों में भी बैंक और समूह से ऋण लेकर शौचालय बनाये जाने लगे। बुजुर्ग सोनिया देवी बताती हैं कि कुछ लोग आदतन खुले में शौच जाते थे, इन्हें सुधारने के लिए महिलाओं ने खुले में शौच करते हुए लोगों को सीटी बजाकर भगाना शुरू किया। इस कार्य में स्थानीय प्रशासन एवं बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री रमण कुमार की कड़ी निगरानी काम आई। शेष बचे हुए लोगों ने भी अपने–अपने घरों में शौचालय बना लिया। आखिरकार इस गांव में हर घर में शौचालय का सपना साकार हुआ। मार्च 2017 में पांडे पट्टी पंचायत को जिला प्रशासन ने खुले में शौच से मुक्त पंचायत घोषित किया। गाँव की बहू वीणा कहती है कि–घर में शौचालय होने से काफी लाभ मिला है। इज्जत भी बढ़ी है और अब रोग–दु:ख में भी कमी आई है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं ने संकल्प लिया है कि वे अपने पंचायत को हमेशा साफ–सुथरा और स्वच्छ रखेंगी।

'kjkc ekfQ;k d f[kykQ fjd yM jgh g tx

✍ राजीव रंजन, प्रबंधक-संचार, समस्तीपुर

समस्तीपुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बाढ़ प्रभावित एवं पिछड़े प्रखंड बिथान में शराब माफियाओं के लिए एक नाम भय पैदा करने के लिए काफी है। वह नाम है जीविका की दीदी रिंकु देवी का। शराब माफियाओं के खिलाफ खुली जंग रिंकु देवी के लिए कई कठिनाइयों और मुश्किलों का सबब है लेकिन जुनून इतना कि हर जंग को ये हंसते हुए लड़ती हैं। एक बार शराब माफियाओं ने उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी कि उनकी जान पर बन आई। हाल तो ऐसा था कि चिकित्सकों ने इलाज करने तक से इंकार कर दिया। रिंकु देवी उन घटनाओं की चर्चा करते–करते गर्वान्वित होती हैं और कहती हैं कि– उन्हें इस बात का फ़ख है कि उन्होंने शराब माफियाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। रिंकु देवी की यह लड़ाई आज बिथान की सभी जीविका दीदियों की लड़ाई बन चुकी है। गुलाब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रिंकु कहती हैं कि–'सरकार के मद्य निषेध के पूर्व भी हम जीविका दीदियों द्वारा शराब एवं ताड़ी के खिलाफ आंदोलन किया जाता रहा। हमलोगों ने समूह एवं ग्राम संगठन की बैठक में इस बावत कई बार चर्चा भी की एवं उसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कार्य भी किया।' रिंकु देवी आगे कहती हैं कि नवज्योति जीविका महिला ग्राम संगठन – जिसकी मैं कोषाध्यक्ष भी हूं द्वारा 21 फरवरी 17 को आयोजित बैठक में इस बात की चर्चा की गयी कि शराब बंदी के बाद भी स्थानीय स्तर पर कुछ शराब माफियाओं द्वारा अवैध शराब एवं ताड़ी की बिक्री की जा रही है, जिसका विरोध करना चाहिए और इस बात की सूचना सरकार द्वारा जारी टॉल फ्री नंबर पर दी जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि स्थानीय स्तर पर शराब कारोबारियों का विरोध किया जाए।

इस बैठक के बाद मैंने जीविका दीदियों के साथ मिलकर अवैध कारोबारियों का विरोध करना शुरू किया। इसी दौरान मुझे जब सूचना मिली कि गांव में ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा है तो कुछ दीदियों को लेकर वहां पहुंची। हमलोगों को आता देखकर सारे शराबी एवं शराब का कारोबार करने वाले वहां से भाग खड़े हुए। हमलोगों ने वहां पड़े सारे सामानों को तोड़–फोड़ दिया। घटना की सूचना हमने स्थानीय पुलिस को भी दिया इसी बीच शराब कारोबारियों द्वारा मुझे बार–बार यह धमकी दी जाने लगी कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को झूठे मामले में फंसा देंगे। लेकिन मैं उनलोगों की धमकी से नहीं घबराई और शराब कारोबारियों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रही। मैंने जब दारू बेचते हुए कारोबारियों को पकड़वाना आरंभ कर दिया तथा उनके शराब बिक्री वाले स्थान पर तोड़–फोड़ की तो सभी अवैध शराब बेचने वालों ने षडयंत्र कर मेरे साथ मारपीट की। मुझे बुरी तरह मारा। उनकी पिटाई से मैं बुरी तरह घायल हो गयी। स्थानीय दीदियों ने काफी कठिनाई के बीच मुझे उन अवैध शराब कारोबारियों से बचाया। वे सब योजना बना कर आये थे कि किसी प्रकार मुझे जान से मार दें। उनकी नजर में मैं उनकी दुश्मन थी। स्थानीय स्तर पर मेरा इलाज आरंभ हुआ लेकिन डाक्टरों ने मुझे जिला अस्तपताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल अतिरिक्त मुझे निजी चिकित्सक से इलाज करवाना पड़ा। रिंकु देवी कहती हैं कि घटना से जहां मुझे काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा, वहीं शारीरिक रूप से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर में चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गयी। समूह से कर्ज लेकर एवं पति द्वारा परदेश से पैसे भेजने के बाद ही मेरा समुचित इलाज हो पाया। इसी बीच रिंकु देवी के पति की भी मौत हो गयी। लेकिन रिंकु देवी का अभियान जारी है। उन्हें जहां भी शराब या ताड़ी बिक्री की सूचना मिलती है वे या तो खुद पहुंच कर शराब माफियाओं को कारोबार बंद करने के लिए मजबूर करती हैं या फिर टॉल फ्री नंबर या पुलिस को फोन कर शराब माफियाओं को गिरफ्तार करवाती हैं। शायद ही कोई महीना होता हो जब रिंकु देवी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती हैं। क्या अब शराब माफियाओं से डर लगता है? इस सवाल पर रिंकु देवी थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि– 'मुझे क्यों डर लगेगा? डरते तो वे लोग हैं मुझे देखकर। जब मैं उतनी बुरी तरह से पिटाई के बाद भी जिन्दा वापस आ गयी तो अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। शराब माफिया मुझे देखकर डरते हैं। मेरे हौसलों में कहीं से कमी नहीं आई है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चल रहा मेरा अभियान जारी है। रिंकु देवी का कहना है कि उनका प्रयास है कि हमारा गांव अच्छा बने, लोग शांति से रहें। शराब की बिक्री नहीं हो तथा लोग सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को पूरी तरह मानें। रिंकु देवी से बातचीत करने के समय उनका आत्मविश्वास देखकर कोई भी दंग हो जाएगा। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता है कि जिस महिला की एक वर्ष पूर्व शराब माफियाओं ने इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी और उनके इलाज पर एक लाख से ज्यादा का खर्च हो चुका। वह महिला हंसते हुए हुए यह कहे कि– मैं क्यों शराब माफियाओं से डरूं? डरें तो वो लोग, क्योंकि गलत काम तो वे कर रहे हैं। मैं तो सही दिशा में हूं। मैं तो समाज के हित के लिए काम कर रही हूं। उनके इस हौसले को देखकर उन्हें कई मंचों पर सम्मानित भी किया गया है। जिलाधिकारी, समस्तीपुर एवं अन्य प्रशासनिक स्तर पर इन्हें पुरस्कृत किया गया है। साथ ही प्रभात खबर द्वारा अपराजिता अवार्ड से भी रिंकु देवी सम्मानित हो चुकी हैं। ●

नाम	: **श्रीमती रिंकु देवी**
प्रखंड	: बिथान, समस्तीपुर
समूह	: गुलाब जीविका स्वयं सहायता समूह
ग्राम संगठन	: नवज्योति जीविका

cnyh lkp

- रिंकु देवी अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहीं हैं।

lkenkf;d [kjhnnkjh ifØ;k l l 'kDrhdj.k dh jkg

✍ **राजीव रंजन, संचार प्रबंधक, समस्तीपुर**

lkमुदायिक स्तर पर प्रोक्योरमेंट (खरीद) प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का संतोषप्रद एवं त्वरित गति से संचालन करना है। सामुदायिक स्तर पर प्रोक्योरमेंट (खरीद) के कुशल संचालन से समुदाय की आमदनी एवं बचत बढ़ायी जा सकती है तथा संसाधनों की बचत के साथ ही पारदर्शिता एवं अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है ।

उद्देश्य

- समुदाय की ओर से की जाने वाली खरीददारी/आपूर्ति के दौरान सभी व्यक्तियों/फर्म के साथ उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार किया जाना।
- इस बात को सुनिश्चित करना कि जिन सामानों और सेवाओं की खरीद की जा रही हैं वे लाभदायक और प्रभावकारी होने के साथ उनकी खरीद की प्रक्रिया में ऐसी पारदर्शिता हो जिससे स्पष्ट लगे कि उच्च कोटि के सामान/सेवाओं की सही कीमत में खरीद की गई हैं।
- समुदाय/समुदाय के सदस्यों या समुदाय के किसी व्यक्ति के निजी व्यवसाय के विकास एवं कामयाबी को इस प्रकिया के माध्यम से सुदृढ़ करना।
- प्रतियोगिता (कम्पटीशन) को प्रोत्साहित करना।
- गुणवत्ता एवं ईमानदारी से पूर्वक प्रोक्योरमेंट (खरीद–फरोख्त) विधि को बनाये रखने हेतु उपाय करना।

समुदायिक प्रोक्योरमेंट (खरीद) के सिद्धांत

- पारदर्शिता
- प्राथमिकता
- सभी आपूर्तिकर्त्ता को समान अवसर
- विशेषज्ञता
- पैसे के लिहाज से मूल्य सुनिश्चित करना
- गारंटी अवधि
- जवाबदेही
- किसी को भी कोई अनुचित लाभ नहीं

समुदायिक प्रोक्योरेमेंट (खरीद) के फायदे

- समुदाय अपने लिए गये निर्णयों–जो समुदाय के सदस्यों के लिए फायदेमंद हों– के लिए पूर्णतः उत्तरदायी और जिम्मेवार होगा।
- समुदाय के कौशल में वृद्धि होगी और वे भागीदारी के साथ विकास करने का विश्वास प्राप्त करेंगे।
- समुदाय अपने द्वारा की गयी खरीददारी के सभी चरणों का प्रदर्शन आमतौर पर सार्वजनिक रूप से करे जिससे सभी प्रकार के लेन–देन में पारदर्शिता झलके।
- निर्धारित बजट एवं समय सीमा के भीतर अच्छे सामानों की खरीद एवं उपयुक्त सेवाओं की खरीददारी करने में सुविधा।
- यह प्रक्रिया राशि के उचित प्रयोग और खरीद में समूह के महत्व की रक्षा करेगा।

l enk; d l 'kDrhdj.k dh igpku g& l kenkf; d [kjhnnkjh

ग्राम संगठन	: कृष्णा जीविका महिला ग्राम संगठन
पता	: ग्राम/पोस्ट– बघड़ा, प्रखंड– मोहनपुर,
जिला	: समस्तीपुर
गठन की तिथि	: 27.08.2015
समूहों की संख्या	: 11
अध्यक्ष	: श्रीमती प्रमिला देवी
सचिव	: श्रीमती महोखा देवी
कोषाध्यक्ष	: श्रीमती रानी देवी

cnyh l kp

- ग्राम संगठन में विभिन्न उप समितियों का गठन किया गया है, जिसमें खरीददारी उप समितियाँ भी शामिल हैं।
- सामुदायिक खरीददारी के तहत कई सामानों की खरीददारी की जा चुकी है।
- खरीददारी उपसमिति में आशा देवी, अनीता देवी एवं संजू देवी हैं।

lk मुदायिक खरीददारी प्रक्रिया महिला सशक्तीकरण का एक शानदार नमूना है। इस प्रक्रिया को करीब से समझने के बाद यह अहसास होता है कि जीविका से जुड़ी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपने सशक्तीकरण की गाथा लिख रही हैं। बाजारों में जाना, बड़े–बड़े दुकानदारों से बातचीत करना, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनसे चर्चा करना और फिर यह तय करना कि उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को पारदर्शिता के साथ कैसे खरीदना है, यह सब जीविका दीदियों को पता है।

समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत बघड़ा गांव में कृष्णा जीविका महिला ग्राम संगठन का गठन 27 अगस्त 2015 को हुआ। अपने गठन के समय से ही कृष्णा जीविका महिला ग्राम संगठन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सक्रिय है। ग्राम संगठन में 11 समूहों की करीब 120 दीदियां जुड़ी हैं। ग्राम संगठन की अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला देवी, सचिव श्रीमती महोखा देवी एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती रानी देवी हैं। ग्राम संगठन का नेतृत्व करने वाली सदस्य इस

बात पर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं कि जीविका के कारण उनके जीवन में काफी बदलाव आ गया है। आज हम कहीं भी खड़े होकर कुछ बोल लेते हैं, अपना अच्छा–भला सोचते हैं। ग्राम संगठन की दीदियां कई मामलों में आज आदर्श हैं। ग्राम संगठन में विभिन्न कार्यों के लिए उपसमितियों का गठन किया जा चुका है। इन उपसमितियों में खरीददारी उपसमिति का गठन शामिल है। ग्राम संगठन में खरीददारी समिति का गठन 29 जुलाई 2016 को किया गया। खरीददारी समिति में श्रीमती आशा देवी, श्रीमती अनिता देवी, श्रीमती संजू देवी शामिल हैं। इन सभी दीदियों को पता है कि वे सब खरीददारी समिति की सदस्य हैं और उन्हें क्या–क्या करना है। अभी तक खरीददारी समिति द्वारा चावल और तेल की खरीददारी ग्राम संगठन में की गयी है।

ग्राम संगठन में खाद्य सुरक्षा निधि की राशि (एक लाख रूपया) 19 अप्रैल 2018 को प्राप्त हुई। खाद्य सुरक्षा निधि की प्राप्ति के उपरांत ग्राम संगठन द्वारा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चावल की खरीददारी करनी है। बैठक में चर्चा के दौरान ही खरीददारी समिति के साथ कुछ अन्य सदस्यों को बाजार सर्वे के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद खरीददारी उपसमिति की सदस्यगण एवं अन्य जिसमें श्रीमती आशा देवी एवं श्रीमती संजू देवी शामिल थीं, 20 मई 2018 को बाजार सर्वेक्षण के लिए गयीं जहां उन्होंने 5 अलग–अलग 5 वेंडरों से संपर्क स्थापित किया। इस दरम्यान दीदियों द्वारा नमूना संकलित किया गया और कोटेशन (दर) भी लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ग्राम संगठन की पुनः बैठक पुनः आयोजित कर बाजार सर्वेक्षण उपरांत प्राप्त दरों की तुलनात्मक विवरणी तैयार की गयी। तुलनात्मक विवरणी में चावल की गुणवत्ता एवं दर को ध्यान में रखा गया। बैठक में एक वेंडर से चावल की खरीददारी करने का निर्णय लिया गया जिसके बाद अंतिम रूप से चयनित वेंडर को खरीद आदेश दिया गया। वेंडर को कार्यादेश देने के बाद खरीददारी समिति की दीदी अपने सामने चावलों की गुणवत्ता की जांच कर चावल को अपने साथ ग्राम संगठन में लेकर आयीं। सामानों को स्टॉक रजिस्टर में इंट्री की गयी और उसके बाद वेंडर जय माता दी ट्रेडर्स, गोला रोड, पटोरी को चेक द्वारा भुगतान किया गया। इसके बाद चावल को आवश्यकतानुसार दीदियों के बीच बांटा गया। खरीददारी की पूरी प्रक्रिया 25 मई 2018 को पूरी हुई।

खरीददारी उपसमिति के सदस्यों का कहना है कि सामुदायिक खरीददारी प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उन्हें आवश्यकता की चीजें आसानी से, सस्ती दर पर एवं बढ़िया क्वालिटी की प्राप्त हुई। खरीददारी समिति का मानना है कि अन्य सामानों की खरीद के लिए वे प्रयास आरंभ कर रही हैं। समस्तीपुर की मैनेजर–प्रोक्योरमेंट संगीता कुमारी कहती हैं कि सभी सामुदायिक संगठनों को सामुदायिक खरीददारी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद सभी संगठन पूरी प्रक्रिया से अवगत होकर सामुदायिक खरीददारी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। संगीता कहती हैं कि इस प्रक्रिया से समुदाय में सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है और उन्हें सस्ता एवं गुणवत्तायुक्त सामानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। ●

रचना आमंत्रण

जीविका द्वारा चेंज मेकर्स (द्विभाषायी – त्रैमासिक) पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में जीविका से जुड़ी गतिविधियों/ कार्यक्रमों/ सफलता की कहानियों के प्रकाशन के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे जीविका कर्मियों के अनुभवों को भी स्थान दिया जाता है। जीविका कर्मियों से आग्रह है कि वे जीविका से जुड़े अपने अनुभवों/ सफलता की कहानियों/ कविता/ कहानी/ गतिविधियों आदि को चेंज मेकर्स में प्रकाशन के लिए भेज सकते हैं। रचना हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में हो सकती है। रचना के साथ उससे संबंधित तस्वीरें अवश्य संलग्न हों। रचनाकार अपनी रचना के साथ अपना पूरा पता और संपर्क नंबर का उल्लेख अवश्य करेंगे। रचना को निम्न मेल आईडी पर भेज सकते हैं –

changemakers.brlp@gmail.com

संपादकीय टीम प्रकाशन योग्य रचनाओं को रचनाकार के नाम के साथ पत्रिका में प्रकाशित करेगी।

– संपादकीय टीम, चेंज मेकर्स

Gram Swaraj Abhiyan

A movement for effective service delivery at the doorstep and furthering ease of living.

Ministry of Rural Development, Government of India and Government of Bihar organized "Gram Swaraj Abhiyaan" from 14th April, 2018 to 5th May 2018.The departments of Panchayati Raj, Skill Development and Employment, Social Welfare, Health, Public Health and Engineering, Energy, Agriculture, Rural Development and JEEViKA worked in coordination with each other during the campaign.

Mahatma Gandhi, father of the nation envisaged the dream of Gram Swaraj. He said that the development of a country is incomplete without the overall development of its villages. To ratify this dream of Mahatma Gandhi, Gram Swaraj Abhiyaan was organized by Government from 14th April, 2018 to 5th May 2018 on an extensive scale to implement several schemes related to public welfare collectively to make villages self-reliant and efficient. Only identified villages were brought under the campaign.

Villages from various blocks of Bihar were identified for the campaign. The various welfare schemes were implemented on large scale and massive awareness campaigns were run in identified villages. Equal focus was laid on economic and social development of the village during the campaign. The attempt was not only to link all the families with the government schemes but also to raise awareness among them at a societal level so that no family is left out from mainstream of development.

The campaign was started on14th April, 2018 on the occasion of Birth Anniversary of Dr. Bhim Rao Ambedkar with the slogan of "Sabka Sath, Sabka Gaon, Sabka Vikas" or "Everyone's alliance, Everyone's Village, Everyone's Development". Special efforts were put in the designated villages to benefit the eligible poor families/people under the 7 prominent welfare schemes namely Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Saubhagya, Ujala Yojana, Ujala Scheme,Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Mission Indradhanush.

To make this campaign successful, Jeevika worked right from the community-based organization level to the block, district and state level. The Jeevika Didis were linked with the various schemes which are being implemented for the poor people. During the campaign, many left-out poor households were linked with SHGs and many villages were saturated. The Jeevika Didis were also linked with insurance at various places.

The main objectives of Gram Swaraj Abhiyan

- To Promote Communal Harmony.
- Spreading awareness about government welfare schemes and other people-centric initiatives.
- To identify left out poor rural households.
- To receive feedback on the various schemes and programs being run by the government.
- Discussion on new approaches.
- To ponder upon the possibilities related to increase inthe income of farmers.
- To increase the opportunities for livelihoods
- Emphasize on national priorities such as Sanitation and strengthening of Panchayati Raj Institutions.

Jeevika and various concerned departments of the district administration jointly organised various programs according to scheduled dates under this campaign in the villages identified by Ministry of Rural Development from 14th April 2018 to 5th May 2018. The detailed description of the programs are as follows:

Date	Activities organized under Gram Swaraj Abhiyaan
14-4-2018	District level program on occassion of Dr. B.R. Ambedkar's Birth Anniversary.
18-4-2018	Sanitation and Village cleanliness program.
19-4-2018	Linking left - out and eligible poor households with SHGs
20-4-2018	Members of SHGs and VOs were motivated to take up LPG connections under Ujjwala Panchayats
21-4-2018	Disseminated information and linked to SHGs and VOs with the Central Government schemes such as – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana.
22-4-2018	Covered the SHGs and VOs under the various benefits of the project as well as linking them with the bank.
23-4-2018	Motivated SHG members for ensuring their participation in Gram Sabha on lieu of Panchayati Raj Diwas on 24-4-2018
24-4-2018	Covered the SHGs and VOs under the various benefits of the project as well as linking them with the bank.
25-4-2018	Motivated youth in the age group of 18-40 years in SHGs to avail skill development training for employment.
26-4-2018	Prepared a list of the farmers in the age group of 18-35 in SHGs for training to increase their income.
27-4-2018	Disseminated information about Gram Swaraj Diwas on 28-4-2018
28-4-2018	SHG members participated in the activities under Gram Swaraj Diwas.
29-4-2018	Create awareness and provide information to all SHGs regarding Ayushman Bharat/Kisan Kalyan Diwas/Ajeevika Diwas
30-4-2018	Linked of 100 percentage eligible poor households of village under SHGs.
1/5/2018	Document prepared for bank linkage of the SHGs/VOs under the Aajevika Diwas organized on 5-5-2018
2/5/2018	Prabhat Pheri and other awareness programs by SHGs to create awareness regarding various schemes. Departure of Skill Chariot in the villages. Registration of Youth in Kaushal Panjee.
3/5/2018	Job camps in the villages with the private companies to provide jobs to the unemployed youth.
4/5/2018	Awareness rally on Livelihoods and Skill development.
5/5/2018	Awareness program on Skill Development in the villages on the occasion of Ajeeika Diwas

Aajeevika and Kaushal Vikas Mela

Gram Swaraj Abhiyan was ended on 5th May 2018 with celebrations of Aajeevika and Kaushal Vikas Mela at block level in all 38 districts of the state. Certificates were distributed to trained youths, fresh batches of trainees were inducted by the PIAs, meetings were conducted with the PIAs/Recruiters/Bank Managers and Jeevika Didis organized Prabhat Pheri and other activities to promote skill development program on this occasion.

Activities organized during Livelihoods and Skill Development Fairs							
Aajeevika-DAY-NRLM				Skill-India and DDU-GKY			
Total Fairs Organized	Number of people that participated in the fair	Number of success stories by the SHG members	Number of SHGs that received Revolving Fund and Initial Capataliztion Fund	Number of candidates registered for "Skills Registration"	Number of candidates that received certificates	Number of candidates that received training certificates	Number of youths that received loan under RSETTI / MUDRA
524	88872	1950	5330	19270	2305	1840	180

CFT: Ensuring access to Entitlements undre MGNREGA

Widow Pramila Devi belongs to Thadhi village under Barhara Kothi block of Purnea district. She is a member of Anand SHG, Vishnu VO and Arpan CLF. She joined Anand Jeevika Self Help Group in the year 2007. She was pursued by the community coordinator to join Jeevika SHG, and prior to that she used to work as a laborer. Initially she had little trust in Jeevika, but eventually she started saving money. When she accumulated around Rs. 600, she took a loan of Rs. 400 to buy groceries for her home. She also started sending her children to the school. After regular savings and maturity, she took a loan of Rs. 30,000 to open a Kirana shop. But since she has 4 children to look after, the earnings weren't enough, she attended the Job card campaign in 2015 and eventually after the initiation of the Cluster Facilitation Team, she also started working as a MGNREGA worker. She says that "All the hindrances of payment, work assignment were alleviated after the Cluster Facilitation Team started functioning". The CFT emerged as boon for those who were unable to exercise their rights and were not receiving their due entitlements. One of her children is working as a Village Resource Person with a Village Organization of Jeevika and pays school fees

for his siblings. Now, Pramila Devi is very vocal about her rights and doesn't fear anybody that might come in the way of her rights and entitlements. She further says that "All this association has established her as a distinguished woman who can lead with an example."

eu dh dye l

जीविका दीदी

जीवन के इन्द्रधनुष में
जीविका नित नया रंग भरे,
अबला नारी अब ना रहें हम
सबला बन
नव जीवन पथ पर दौड़ चलें।

दीदी भईया के रिश्ते से
सीखें हर दिन गुढ़ नये,
जीविका दीदी कहलाकर
बनाते निरंतर पहचान नये।

सपनों के नये पंख लग गये
जीविका रूपी बटबृक्ष तले,
उड़ने के लिये तैयार खड़े हम
संजोने लगे ख्वाब बड़े-बड़े।

जीविकोपार्जन केवल लक्ष्य नहीं अब
स्वाबलम्बी बन हम आगे बढ़े
उद्यमी बन,
करें रोज नये कीर्तिमान खड़े।

जीवन के इन्द्रधनुष मे,
जीविका नित नये रंग भरे।।

आनंद शंकर
राज्य परियोजना प्रबंधक -
मानव संसाधन

The Story of Raju Lal

Let's hear the story of Raju Lal,
who pooped outside with no morale,
he spread the odor everywhere,
for his own health he didn't care.

Then one fine day while going out,
he saw something move much to his doubt,
he saw a king cobra gazing at him,
ready to make his day turn into grim.

The serpent in haste bit his leg,
for his life he started to beg,
someone rushed him to the hospital,
Raju now lost all his capital.

He didn't change, still went in the open,
he was falling sick very often,
he didn't think of building a toilet,
watched his insect bites turning violet.

He was bent till his daughter fell sick,
and when the unborn didn't kick,
he cried all night in utmost despair,
decided to build a toilet with all to spare.

toilet isn't a luxury he understood,
it's necessary like water and food,
he now motivates everyone,
out of repentance and not for fun.

Abhijeet Mukherjee
Young Professional

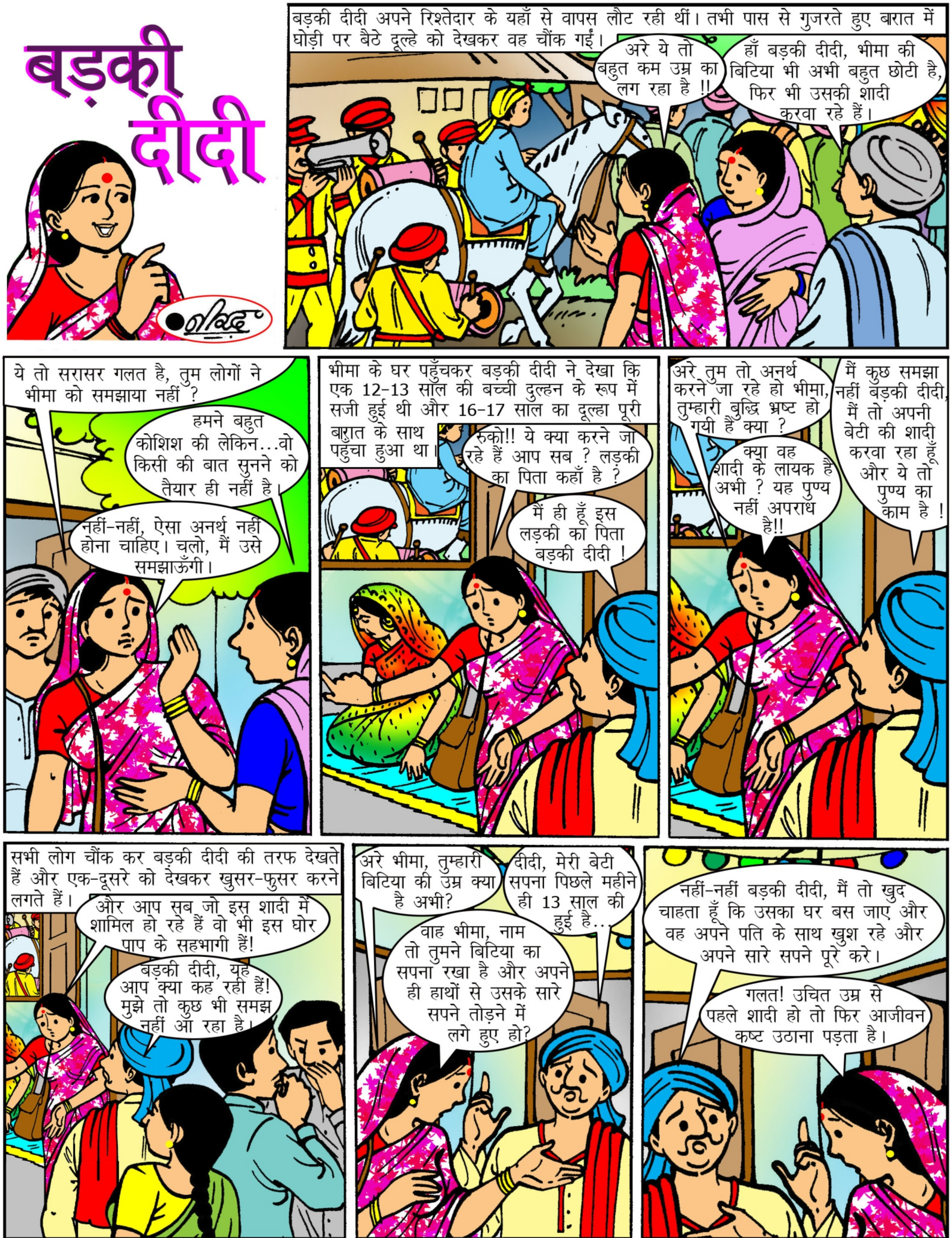

बड़की दीदी
बड़की दीदी अपने रिश्तेदार के यहाँ से वापस लौट रही थीं। तभी पास से गुजरते हुए बारात में घोड़ी पर बैठे दूल्हे को देखकर वह चौंक गईं।
अरे ये तो बहुत कम उम्र का लग रहा है !!
हाँ बड़की दीदी, भीमा की बिटिया भी अभी बहुत छोटी है, फिर भी उसकी शादी करवा रहे हैं।
ये तो सरासर गलत है, तुम लोगों ने भीमा को समझाया नहीं ?
हमने बहुत कोशिश की लेकिन...वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है।
नहीं-नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। चलो, मैं उसे समझाऊँगी।
भीमा के घर पहुँचकर बड़की दीदी ने देखा कि एक 12-13 साल की बच्ची दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और 16-17 साल का दूल्हा पूरी बारात के साथ पहुँचा हुआ था।
रुको!! ये क्या करने जा रहे हैं आप सब ? लड़की का पिता कहाँ है ?
मैं ही हूँ इस लड़की का पिता बड़की दीदी !
अरे तुम तो अनर्थ करने जा रहे हो भीमा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है क्या ?
क्या वह शादी के लायक है अभी ? यह पुण्य नहीं अपराध है!!
मैं कुछ समझा नहीं बड़की दीदी, मैं तो अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूँ और ये तो पुण्य का काम है !
सभी लोग चौंक कर बड़की दीदी की तरफ देखते हैं और एक-दूसरे को देखकर खुसर-फुसर करने लगते हैं।
और आप सब जो इस शादी में शामिल हो रहे हैं वो भी इस घोर पाप के सहभागी हैं!
बड़की दीदी, यह आप क्या कह रही हैं! मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
अरे भीमा, तुम्हारी बिटिया की उम्र क्या है अभी?
दीदी, मेरी बेटी सपना पिछले महीने ही 13 साल की हुई है...
वाह भीमा, नाम तो तुमने बिटिया का सपना रखा है और अपने ही हाथों से उसके सारे सपने तोड़ने में लगे हुए हो?
नहीं-नहीं बड़की दीदी, मैं तो खुद चाहता हूँ कि उसका घर बस जाए और वह अपने पति के साथ खुश रहे और अपने सारे सपने पूरे करे।
गलत! उचित उम्र से पहले शादी हो तो फिर आजीवन कष्ट उठाना पड़ता है।

पास में खड़ी भीमा की पत्नी मीना बड़की दीदी के सामने आती है।
प्रणाम बड़की दीदी।
मीना, तुम तो एक औरत हो, तुमने नहीं समझाया अपने पति को कि छोटी उम्र में शादी के बाद कितनी परेशनियाँ उठनी पड़ती हैं?
बड़की दीदी, बेटियाँ बड़ी हो जाएँ तो माँ-बाप को ऊँच-नीच हो जाने का एक अनजाना-सा डर सताता रहता है।
बिलकुल गलत बात! ये उम्र उसके पढ़ने-लिखने की है। उसे स्कूल भेजो, अच्छी तरह से पढ़ाओ-लिखाओ। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दो।
लड़की अगर ज्यादा पढ़-लिख जाए तो बिरादरी में लड़का ढूँढना कठिन हो जाता है। और वो हाथ से भी निकल जाती है!!
नहीं भीमा, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो। वह कभी तुम्हारा सर नीचे नही होने देगी। आज लड़कियां हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं।
तभी लड़के का पिता दिवाकर बड़की दीदी के पास आया।
भाई साहब, क्या आपको पता नहीं कि हमारी सरकार ने बाल-विवाह के खिलाफ कड़े नियम कानून बनाए हैं और पकड़े जाने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है?
बेटे को पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होने दें, ताकि अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। उसे इस काबिल बनाइये।
कम उम्र में शादी और कम उम्र में गर्भधारण से मां और बच्चा, दोनों के जीवन को खतरा रहता है।
बाल-विवाह की ऐसी किसी भी घटना का विरोध करें। लोग ना मानें तो पुलिस में शिकायत करें और सजा दिलाएं। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें ठीक से फलने-फूलने दें, पढ़-लिख कर आगे बढ़ने दें अपना भविष्य संवारने दें।
हाँ-हाँ बड़की दीदी, ऐसा ही होगा!! हम शपथ लेते हैं!!
समाप्त

Facilitation of Swacchagrahi - Smt. Rinku Kumari of Nalanda during Satyagrah se Swacchagrah

Felicitation of Best Performing SHGs of Bihar under Deen Dayal Upadhyay - Gramin Kaushal Yojana

Sita Village Organisation, Dobhi was awarded as Best Performing VO at National Level on the occassion of Aajeevika and Kaushal Mela in Ranchi

Felicipation of SHG members during Gram Swaraj Abhiyan

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

बिहार सरकार

जीविका
JEEViKA

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान
बिना किसी बंधन और भेद के, शौचालय सबके लिए।

"आपका साथ, हमारा प्रयास, स्वच्छ प्रदेश की सबकी आस"

- **अपने ग्राम को खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु अपने जिले के जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जीविका कार्यालय से संपर्क करें।**

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा जनहित में जारी...

JEEViKA

Rural Development Department,Govt. of Bihar
Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021;
Ph.:+91-612-250 4981 :: Fax : +91-612-250 4960,
Website : www.brlp.in :: E-mail : info@brlp.in